डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

पत्रांकः लो0अ0वि0 / परीक्षा / 1366 / 2021 दिनांकः 10-03-2021

सेवा में,

राजकीय / शासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्त पोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

महोदय,

आदेशानुसार सूच्य है कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने हेतु (**कन्टीजेन्सी / प्रायोगिक परीक्षा हेतु**) अग्रिम कन्टीजेन्सी प्रदान की जाती है। पूर्व परीक्षाओं हेतु अग्रिम कन्टीजेन्सी का समायोजन अभी तक विभिन्न महाविद्यायलों द्वारा नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश भी दिये जाते रहे है कि परीक्षा समाप्ति के 01 माह के अन्दर विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी अग्रिम धनराशि का समायोजन सम्बन्धित महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष / प्राचार्य / प्राचार्या द्वारा करा लिया जाय।

इस सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुआ है कि यदि जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक अग्रिम का समायोजन नहीं कराया गया है, उन महाविद्यालयों की अग्रिम (**कन्टीजेन्सी / प्रायोगिक परीक्षा हेतु**) का समायोजन 10 प्रतिशत ब्याज के साथ किया जाय।

निर्देशानुक्रम में भविष्य में सम्पन्न होने वाली परीक्षाओं हेतु अग्रिम / प्रायोगिक कन्टीजेन्सी उन्हीं महाविद्यालयों को प्रदान की जायेगी जिन महाविद्यालयों द्वारा लेखा विभाग से पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अग्रिम समायोजन सम्बन्धी नोड्यूज प्रस्तुत किया जायेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. **प्रशासनिक अधिकारी, (गोपनीय)** को इस आशय से प्रेषित कि जिन महाविद्यालयों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु अग्रिम समायोजन सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किया जाय, उन्हीं महाविद्यालयों को आगामी होने वाली परीक्षाओं हेतु ही अग्रिम दिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जाय।
2. **प्रशासनिक अधिकारी, (परीक्षा)** को इस आशय से प्रेषित कि जिन महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु अग्रिम समायोजन सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किया जाय, उन्हीं महाविद्यालयों को आगामी होने वाली परीक्षाओं हेतु ही अग्रिम दिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जाय।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव / प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा / गोपनीय)
5. वैयक्तिक सहायक वित्तअधिकारी / कुलसचिव, वित्तअधिकारी / कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
6. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को विश्वविद्यालय की बेवसाइट एवं सम्बन्धित महाविद्यालय की कालेज लॉगिन में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. पत्रावली।

कुलसचिव